GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 99
TO BE ANSWERED ON 10.02.2022

Review of definition of non-forest activities

99. SHRI TIRUCHI SIVA:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that construction of non-permanent structures for eco-tourism has been removed from the ambit of non-forest activities;
(b) if so, the reasons therefor;
(c) whether the construction of even non-permanent structures may harm forest areas and create disturbances in local ecology; and
(d) the steps that Government has planned to ensure that these areas remain protected?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

***

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.99 BY SHRI TIRUCHI SIVA REGARDING 'REVIEW OF DEFINITION OF NON-FOREST ACTIVITIES' DUE FOR REPLY ON 10.02.2022

(a)& (b) In order to remove the ambiguity in the provisions related to ecotourism in the Comprehensive Guidelines issued under Forest (Conservation) Act, 1980, the Ministry has issued revised guideline dated 25.10.2021, wherein it has been clarified that *"Development/construction of facilities which are not of permanent nature, in forest areas for the purpose of ecotourism by Government authorities shall not be considered as non-forestry activity for the purpose of Forest (Conservation) Act, 1980".*

(c) & (d) Forests and wildlife are elements of nature and inseparable parts of the environment. Because of the intricate nature of interface between nature and human beings, nature conservation entails interactions with people as a central concept. Such interaction includes not only the forest fringe dwellers but also those who are living away from the forests for the purpose of creating experience for the visitors.

Eco-tourism is a form of responsible tourism in natural areas that conserves the environment and improves the well-being of people. In order to promote low impact nature tourism which ensures ecological integrity of the eco-tourism sites and its environment, the Ministry vide letter F.No.1-57/2014WL (part-8)dated 29.10.2021 has issued the "Guidelines on Sustainable Eco-Tourism in Forest and Wildlife Areas".

***

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *99
10.02.2022 को उत्तर के लिए

वनेतर गतिविधियों की परिभाषा की समीक्षा किया जाना

***99. श्री तिरूची शिवा :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारिस्थितिकी-पर्यटन के लिए गैर-स्थायी संरचनाओं के निर्माण को वनेतर गतिविधियों के दायरे से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैर-स्थायी संरचनाओं का निर्माण भी वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकता है और स्थानीय पारिस्थितिकी में गड़बड़ियां उत्पन्न कर सकता है; और

(घ) सरकार ने इन क्षेत्रों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने की योजना बनाई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"वनेतर गतिविधियों की परिभाषा की समीक्षा किया जाना" के संबंध में श्री तिरूची शिवा द्वारा दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *99 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जारी व्यापक दिशानिर्देशों में पारिस्थितिकीय पर्यटन से संबंधित प्रावधानों में अस्पष्टता को दूर करने के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.10.2021 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि *''सरकारी प्राधिकरणों द्वारा पारिस्थितिकीय पर्यटन के प्रयोजन से वन क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं के विकास और निर्माण, जो स्थायी प्रकृति के नहीं हैं, को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन से गैर-वानिकी कार्यकलाप के रूप में नहीं माना जाएगा''*।

(ग) और (घ) वन और वन्यजीव प्रकृति के अवयव हैं और पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। प्रकृति और मानव जाति के बीच अंत: संबंध (इंटरफेस) के जटिल स्वरूप के कारण, प्रकृति के संरक्षण में लोगों के साथ परस्पर संवाद को मूलभूत संकल्पना के रूप में महत्व देना आवश्यक है। ऐसे पारस्परिक संवाद में न केवल वनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं, बल्कि वे लोग भी शामिल हैं जो आगंतुकों के लिए अनुभव सृजित करने के प्रयोजन से वनों से दूर रह रहे हैं।

पारि-पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों में उत्तरदायित्व की भावना से किए जाने वाले पर्यटन का एक रूप है जिससे पर्यावरण का संरक्षण होता है और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्रकृति पर कम कुप्रभाव डालने वाले ऐसे प्रकृति पर्यटन, जो पारि-पर्यटन स्थलों और उनके पर्यावरण की पारिस्थितिकीय अखण्डता सुनिश्चित करें, को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2021 को पत्र सं. 1-57/2014 डब्ल्यूएल (पार्ट-8) द्वारा ''वन और वन्यजीव क्षेत्रों में संधारणीय पारि-पर्यटन संबंधी दिशानिर्देश'' जारी किए हैं।

*****

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the revised guidelines under the Forest (Conservation) Act issued in October, 2021 mention, "Development/construction of facilities which are not of permanent nature, in forest areas for the purpose of ecotourism by Government authorities shall not be considered as non-forestry activity." I would like to know from the Minister whether it will be confined only to Government authorities and no private players will be allowed.

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, अभी हमने कुछ दिनों पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ईको-टूरिज़्म की गाइडलाइन्स निकाली हैं। उन गाइडलाइन्स में हम लोगों ने यह कहा है कि 'any work relating or ancillary to conservation, development and management of forest and wildlife, namely, the establishment of check-posts...' इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत with permission, हमने पैरा 1.18, पैरा 11.10, पैरा 12.13 में explanation दिया है। ... (**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA: My question is whether it will be restricted only to Government authorities. ..*(Interruptions)*..

SHRI BHUPENDER YADAV: It is with the forest authority. ..*(Interruptions)*..

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, there is a great concern expressed by the ecologists that highly-visited ecotourism destinations are likely to see more construction and encroachment in those regions which will lead to the loss of habitat and would result in endangerment of the species which depend on the natural habitat. In Tamil Nadu, there are two potential sites that have been earmarked, namely, Kodikkarai and Vedanthangal, which are bird sanctuaries. Will these non-permanent structures affect them? What are the steps taken in this regard? Is there any limitation to the quantum of visiting tourists and tourism activities in these areas?

भूपेन्द्र यादव : माननीय उपसभापति महोदय, कोर एरिया में किसी को भी कोई activity करने की इजाज़त नहीं है। जो बफर एरिया है, चूंकि हमारे ट्राइबल भाई-बहन जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनको ईको-टूरिज़्म के द्वारा आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता है, जिनको अपने forest conservation को बनाए रखने की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए उस एरिया में रखा है, वह भी with permission है और उनके लिए guidelines हैं, जिसमें कोई पक्का infrastructure नहीं बना सकते हैं। यह वास्तव में हमारे देश के गरीब लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए किया गया है। ... (**व्यवधान**)... उन्होंने specifically पूछा है, तो मैंने specifically ही जवाब दिया है। मैंने परपज़ भी बताया है। ... (**व्यवधान**)... यह सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है कि गरीबों का रोज़गार मिले और वे उन्नति करें।

श्री उपसभापति: क्वेश्चन नंबर 100, श्री सुजीत कुमार।